सत्यमेव जयते
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/SER-1123/MCOL/10/2023-SSW   दिनांक: 13.05.2025

सेवा में

श्री निलेन्दु कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड,
दरभंगा हाउस, कचहरी रोड,
रांची, (झारखंड – (834029
Email Id: cmd.ccl.cil@coalindia.in

विषय: Gratuity एवं CMPF राशि दिलाने के संबंध में श्री नन्दकेस्वर गंझू पिता सोमर गंझू, स्वांग कोलियरी, ग्राम -ओझा सारम असनाही, पोस्ट -मुरुपीरी, जिला -राँची का दिनांक 04.10.2023 का अभ्यावेदन

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 28.03.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट /की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

13.5.25

(योगेन्द्र प्रसाद यादव (Y.P. Yadav)
उप सचिव/Deputy Secretary
ईमेल : rahul.1424@ncst.nic.in

<u>प्रति</u> सूचनार्थ:

श्री नन्दकेस्वर गंझू
पुत्र श्री सोमर गंझू,
ग्राम -ओझा सारम असनाही,
पो - .मुरूपीरी, स्वांग कोलियारी,
जिला -रांची, (झारखंड)
(Mobile No:9934385527)
(i) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(ii) NIC for uploading

✓NIC

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
फा. सं. NCST/SER-1123/MCOL/10/2023-SSW

सीएल द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी श्री सोमर गंझू को Gratuity एव CMPF राशि जारी ना करने के संबंध में श्री नन्दकेस्वर गंझू पुत्र श्री सोमर गंझू, स्वांग कोलियरी, ग्राम - ओझा सारम असनाही, पोस्ट - मुरुपीरी, जिला - राँची की शिकायत पर आयोग द्वारा आयोजित सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग की तिथि एवं समय : 28.03.2025 को 02:20 बजे अपराह्न
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-। के अनुसार।

यह शिकायत दिनांक 04.10.2023 को श्री नंदकेश्वर गंझू, स्वांग कोलियरी, ग्राम - ओझा सारम असनाही, पोस्ट - मुरुपीरी, जिला - रांची से आयोग को प्राप्त हुई। इसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता श्री सोमर गंझू, जो स्वांग कोलियरी में P/R पद पर कार्यरत थे, पिछले 4-5 वर्षों से मानसिक रोग से ग्रसित हैं। उनका इलाज रांची, कांके में डॉ. चौधरी द्वारा किया गया, लेकिन पूर्ण प्रयासों के बावजूद उनकी मानसिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। चिकित्सकीय जाँच के उपरांत उन्हें नौकरी के लिए अयोग्य (Unfit) घोषित कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि सीसीएल द्वारा उनके पिता को Gratuity एवं CMPF राशि अब तक जारी नहीं की गई है, जिससे उनके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, सीसीएल के नियम 9.4.0 के तहत श्री नंदकेश्वर गंझू द्वारा नौकरी के लिए आवेदन किया गया था, जिसे सीसीएल ने निरस्त कर दिया।

2. आयोग द्वारा उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले में रिपोर्ट मांगने हेतु **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड** को नोटिस दिनांक 17.11.2023 को भेजा गया।
3. आयोग के नोटिस के संदर्भ में **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड** से रिपोर्ट दिनांक **18.06.2024** प्राप्त हुई। रिपोर्ट संतोषजनक न पाए जाने पर, आयोग ने 28.03.2025 को सुनवाई निर्धारित की, जिसके लिए तदनुसार सिटिंग नोटिस जारी किए गए।
4. सुनवाई के दौरान अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से महाप्रबंधक (मानव संसाधन) एवं अन्य अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए, तथा शिकायतकर्ता भी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।

मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

I. सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा शिकायतकर्ता के पिता की जो भी वित्तीय राशि थी, वह उनके परिजनों को प्रदान कर दी गई है — इसका प्रमाणित साक्ष्य आयोग को प्रस्तुत किया जाए, तथा यह भी सूचित किया जाए कि उक्त राशि किस बैंक खाते में भेजी गई और किस प्रकार आहरित (withdraw) की गई — इसकी भी जानकारी आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

आशा लकड़ा
22/04/2025
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

II. विभागीय कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेख, जैसे कि विभागीय कार्यवाही की प्रति, आरोप-पत्र (Chargesheet), कार्यवाही का विवरण (Proceedings) एवं समिति का निर्णय (Committee का Judgement) आयोग को प्रस्तुत किया जाए।

III. दिनांक 06.08.1999 के कार्यालय आदेश के माध्यम से सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा शिकायतकर्ता के पिता को सेवा से बर्खास्त किया गया था, परंतु सेवा से संबंधित लाभों की राशि उनके परिवार को वर्ष 2008 तथा उसके उपरांत प्रदान की गई। आयोग यह जानना चाहता है कि इस प्रकार की देरी क्यों हुई|

IV. मानवीय आधार पर शिकायतकर्ता को रोजगार प्रदान किए जाने पर विचार किया जाए।

इस मामले की जांच रिपोर्ट आयोग को 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा
22/04/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्या
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-1123/MCOL/10/2023-SSW-RU-IV

Sitting to be held on **28.03.2025 at 02:20 P.M** - Gratuity एव CMPF राशि दिलाने के संबंध में :- श्री नन्दकेस्वर गंझू , पिता सोमर गंझू , स्वांग कोलियरी, ग्राम - ओझा सारम असनाही, पोस्ट - मुरुपीरी, जिला - राँची का अभ्यावेदन

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Research Officer		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
6.			
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Central Coalfield Limited, Ranchi (CCL)**		
1.	Navrit Kumar GM (HR) IR)	CCL Ranchi 8987785495	Navrit 28.3.25
2.	Atanu Choudhury. Chief Mgr (HR)	CCL; Ranchi. 8987784171	28/3/25
3.	Manish Kongari Manager (HR)	CCL Ranchi 9110197173	28/3/25
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.	नन्दकेश्वर गंझू		
2.			